रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032021-225894 CG-DL-E-13032021-225894

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1104] No. 1104] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 12, 2021/फाल्गुन 21, 1942 NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 12, 2021/PHALGUNA 21, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली. 12 मार्च. 2021

का.आ. 1192(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और (xiv), उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, का.आ.सं. 2538 (अ), तारीख 09 अगस्त, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 में,

- (i) "तीन वर्ष की अवधि के लिए" शब्दों के स्थान पर, "अगला आदेश होने तक, परंतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को नामनिर्दिष्ट किया जाएगा," शब्द रखे जाएंगे।
- (ii) मद (6) में, "शहडोल" शब्द के स्थान पर, "होशंगाबाद" शब्द रखा जाएगा।

[फा. सं. 25/177/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी. वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2538 (अ), तारीख 9 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी;

1589 GI/2021 (1)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2021

S.O. 1192(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) and clause (v) and (xiv) of sub-section (2) sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O 2538 (E), dated the 9th August, 2017 namely: -

In the said notification, in paragraph 5,

- (i) for the words "for a period of three years", the words "till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the State Government from time to time" shall be substituted;
- (ii) in item (6), for the word "Shahdol", the word "Hoshangabad" shall be substituted;

[F. No. 25/177/2015-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 2538 (E), dated the 9th August, 2017.